न्यायालय लैण्ड रेकर्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही
बईजलास पीठासीन अधिकारी हरि सिंह देवल (आर.ए.एस.)

रा.प्रा.प.संख्या 36 / 2025
GCMS No. 2025/49

प्रार्थीगण

1. अमृतलाल पुत्र खेतारामजी, जाति कुम्हार, उम्र वयस्क, निवासी नवारा तहसील सिरोही।
2. कपूराराम पुत्र तलसाजी, जाति कुम्हार, उम्र वयस्क, निवासी नवारा तहसील सिरोही।
3. कूपाराम पुत्र गीमाजी, जाति कुम्हार, उम्र वयस्क, निवासी नवारा तहसील सिरोही।
4. केसाराम पुत्र उकाजी, जाति कुम्हार, उम्र वयस्क, निवासी नवारा तहसील सिरोही।
5. चौपाराम पुत्र हरजीरामजी, जाति कुम्हार, उम्र वयस्क, निवासी नवारा तहसील सिरोही।
6. जैताजी पुत्र रूपारामजी, जाति कुम्हार, उम्र वयस्क, निवासी नवारा तहसील सिरोही।
7.ताराराम पुत्र हरजीरामजी, जाति कुम्हार, उम्र वयस्क, निवासी नवारा तहसील सिरोही।
8. ताराराम पुत्र उकाजी, जाति कुम्हार, उम्र वयस्क, निवासी नवारा तहसील सिरोही।
9. दरगाराम पुत्र रूपारामजी, जाति कुम्हार, उम्र वयस्क, निवासी नवारा तहसील सिरोही।
10. प्रकाश पुत्र गीमाजी, जाति कुम्हार, उम्र वयस्क, निवासी नवारा तहसील सिरोही।
11. भबूताराम पुत्र तलसाजी, जाति कुम्हार, उम्र वयस्क, निवासी नवारा तहसील सिरोही।
12. मेगाराम पुत्र हरजीरामजी, जाति कुम्हार, उम्र वयस्क, निवासी नवारा तहसील सिरोही।
13. मालाराम पुत्र खेतारामजी, जाति कुम्हार, उम्र वयस्क, निवासी नवारा तहसील सिरोही।
14. रतनाराम पुत्र वीराजी, जाति कुम्हार, उम्र वयस्क, निवासी नवारा तहसील सिरोही।
15. रतिलाल पुत्र उकाजी, जाति कुम्हार, उम्र वयस्क, निवासी नवारा तहसील सिरोही।
16. होबाराम पुत्र वीराजी, जाति कुम्हार, उम्र वयस्क, निवासी नवारा तहसील सिरोही।

न्यायालय लैण्ड रिकॉर्ड अधिकारी ★ सिरोही (राज.) ★

बनाम

अप्रार्थीगण

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिरोही तहसील सिरोही।

उपस्थित—

1 प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री कलीम अव्वल

2 अप्रार्थी स्टेट की ओर से श्री पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार) सिरोही।

<u>राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते दुरस्त करने राजस्व रेकर्ड</u>

अमृतलाल व अन्य बनाम स्टेट
रा.प्रा.प.संख्या 36 / 2025
GCMS No. 2025/49

आदेश दिनांक 19–12–2025

प्रार्थी ने जरिए अधिवक्ता यह राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते दुरस्त करने राजस्व रेकर्ड हेतु अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 15.04.2025 को प्रस्तुत कियां जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नवारा पटवार हल्का नवारा भू.अभि.नि.क्षेत्र बरलूट तहसील व जिला सिरोही में निम्न कृषि आराजी आई हुई है जिसकी विगत वर्तमान जमाबंदी संवत 2073–2076 के अनुसार निम्न प्रकार है:–

खाता संख्या नया–115 पुराना–112

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण
673	0.0500 हैक्टयर	बारानी 2
674	0.0800 हैक्टयर	बारानी 2
678	0.0500 हैक्टयर	गै.मु.चाह
679	2.7800 हैक्टयर	बारानी 2

कुल खसरे 4 कुल रकबा / क्षेत्रफल – 2.9600 हैक्टयर

उक्त कृषि आराजी में खसरा संख्या 678 रकबा 0.0500 हैक्टयर किस्म गै. मु. चाह में कुँआ स्थित है। लेकिन उक्त कुआँ को राजस्व नक्शे में तरमीम करते समय मौके पर स्थित कुँआ के स्थान पर उक्त तरमीम नहीं किया जाकर कुँआ दुसरी जगह अर्थात कुछ दुरी पर तरमीम किया गया एवं उक्त कुँआ को राजस्व नक्शे में रकबा भी 0.0500 हैक्टयर के स्थान पर 0.0900 हैक्टयर दर्शाया गया है। जबकि उक्त कुँआ व खसरा का रकबा 0.0500 हैक्टयर ही सही व वास्तविक है। जहाँ पर कुँआ राजस्व नक्शे पर तरमीम किया गया है वहाँ पर काश्त की जा रही है एंव जहाँ पर कुँआ स्थित है उक्त स्थान पर कृषि आराजी को दर्शाया गया है, जो गलत है। जिसे दुरूस्त किया जाना अतिआवश्यक है। वर्णित कृषि आराजी में राजस्व नक्शे में तरमीम करते समय हुई गलती सहवन से हुई है एंव राजस्व नक्शे में सहवन से हुई उक्त लिपिकीय त्रुटि के कारण वर्तमान में प्रार्थीगण उक्त कृषि आराजी का आपसी सहमति से बंटवाड नहीं करवा पा रहे है। जिसे दुरूस्त कर सही तरमीम अनुसार राजस्व नक्शे में इन्द्राज किया जाना आवश्यक है। उक्त वर्णित कृषि आराजी में राजस्व नक्शे में तरमीम करते समय राजस्व कर्मचारियों को मोके पर स्थित कुँआ को सही स्थान पर राजस्व नक्शे में तरमीम करना चाहियें था लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने गलती से उक्त कुँआ को गलत स्थान पर तरमीम कर दिया एंव राजस्व जमाबंदी के रकबा को भी राजस्व नक्शे में गलत तरमीम कर दिया जो गलती सहवन से हुई है, जिससे दुरुस्त किया जाना अतिआवश्यक है। प्रार्थीगण द्वारा राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों को कई बार निवेदन किया लेकिन आज दिन तक राजस्व नक्शे में हुई त्रुटि को दुरूस्त नहीं किया है जिससे व्यथिथ होकर प्रार्थीगण को उक्त राजस्व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण पैदा हुआ है।

अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि प्रार्थीगण का राजस्व प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर बाद तलबी अप्रार्थी एवं बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि आराजी में खसरा संख्या 678 रकबा 0. 0500 हैक्टयर किस्म गै. मु. चाह में कुँआ स्थित को राजस्व नक्शे में तरमीम करते समय हुई त्रुटि को दुरूस्त करते हुए एंव उक्त खसरा के रकबा को राजस्व नक्शें में रकबा भी 0.0500 हैक्टयर के स्थान पर 0.0900 हैक्टयर दर्शाया गया को दुरूस्त

करते हुए उक्त खसरा संख्या 678 को राजस्व नक्शे में रकबा 0.500 हैक्टयर व सही जगह पर कुआ को राजस्व नक्शे में तरमीम करने के आदेश फरमावें।,

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 के साथ जमाबंदी की प्रति, नक्शे की प्रति तथा मिलान क्षेत्रफल का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तो उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों से न्यायालय प्रथम दृष्ट्या आश्वस्त होने से उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 17.04.2025 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जवाब पेश करने हेतु प्रकरण नोटिस जारी किए गए।

प्रकरण में इस न्यायालय में सुनवाई पेशी दिनांक 11.07.2025 को अप्रार्थी स्टेट की ओर से जरिए पत्रांक 522 दिनांक 23.06.2025 को जवाब पेश किया जिसे शा.मि. किया गया तथा जवाब की प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई।

अप्रार्थी तहसीलदार सिरोही ने अपने जवाब में कथन किया कि ग्राम नवारा चालू जमाबंदी के नया खाता सं.– 115 व पुराना 112 के अनुसार भूमि विवरण सही हैं। उक्त वर्णित खसरा नम्बरानों की भूमि प्रार्थी अमृतलाल व अन्य खातेदारों की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। खसरा नम्बर 678 रकबा 0.0500 हैक्टेयर भूमि किस्म गै. मु. चाह जमाबंदी खाता मे दर्ज है एवं नक्शा शीट में भी उक्त खसरा अंकित है। खसरे की चारों भुजाओं की लम्बाई व चौड़ाई का पैमाना अनुसार क्षेत्रफल की गणना करने पर कुल रकबा 30 मीटर * 30 मीटर = 900 वर्ग मीटर अर्थात 0.0900 हैक्टेयर बन रहा है जबकि जमाबंदी में उक्त खसरे का रकबा 0.0500 हैक्टेयर ही है। मौका एवं नक्शे से कुएं की दूरी व भुजाओं का मिलान किया गया तो नक्शे में जिस जगह कुआं मय गुआ अंकित किया गया है वह उसी स्थान पर नहीं होकर नक्शे की उतरी भूजा से उत्तर दिशा में लगता हुआ कुआं व उसका गुआ स्थित है। इस प्रकार वर्तमान नक्शे में कुएँ का एवं गुआ भूमि का स्थान गलत त्रुटिपूर्ण अंकित है। उक्त जवाब दावा के साथ नक्शा ट्रेस प्रति संलग्न की गई है। जिसमें कुएं की वास्तविक भौतिक स्थिति को नक्शे में लाल स्याही से मार्क किया जाकर दर्शाया गया है। उक्त लाल स्याही से मार्क भूमि रकबा भी 0.0500 हैक्टेयर बन रहा है। यह कि नक्शे में जिस जगह भू0 प्रबन्ध विभाग द्वारा खसरा नम्बर 678 को अंकित किया है उस स्थान पर खेती होती है एवं कुएं का कोई नामोनिशान भी नहीं है तथा न ही उस स्थान पर पूर्व में भी कोई कुआं रहा है। अतः मौका की भौतिक स्थिति के अनुसार नक्शे में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा सहवन से अशुद्दि हुई है जिसका सुधार अपेक्षित है। यह नक्शे में खसरा नम्बर 678 की अशुद्दि सहवन से होनी स्पष्ट हो रही है। अतः वास्तविक स्थिति के अनुसार खसरा नम्बर 678 रकबा 0.0500 हैक्टेयर भूमि किस्म गै.मु. चाह की शुद्दि होनी अपेक्षित है। शुद्दि होने पर प्रार्थी गण उक्त कुएं की भूमि एवं खाते में वर्णित भूमि का सही ढंग से बंटवाड इत्यादि अन्य कार्यवाही कर सकेंगें। प्रार्थी गणों द्वारा खसरा नम्बर 678 का नक्शें में गलत स्थान पर अंकित होना बताया गया है जो कथन सही है क्योंकि मौका नपती अनुसार कुँआ व गुआ की भूमि रकबा 0.0500 हैक्टेयर वर्तमान नक्शें में अंकित खसरे की उत्तरी सीमा से उतर दिशा लगती हुई है। कुएं व गुआ की भूमि मौके पर पैमाईश अनुसार 0.0500 हैक्टेयर ही है जिसको संलग्न नक्शे में मार्क लाल स्याही से किया जाकर दर्शाया गया है। कुएं व गुआ का क्षेत्रफल मौके की स्थिति अनुसार 0.0900 हैक्टेयर नहीं बन रहा है। प्रार्थीगणों को उक्त स्थिति की जानकारी भूमि के आपसी बंटवाड़े की तैयारी की जाने पर हुई है। जिस पर श्रीमान को खसरा नम्बर 678 को मौके अनुसार

नक्शे में भी दुरूस्त किया जाने हेतु निवेदन किया गया है। नक्शे में मौका अनुसार कुएं का वास्तविक अंकन होना अपेक्षित है। जमाबंदी में दर्ज रकबा अनुसार ही मौके पर कुएं की वास्तविक भौतिक स्थिति है।

इस न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी वकील व पैरोकार सरकार द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 एल.आर.एक्ट पर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई ।

हमने विचाराधीन प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अवलोकन कर उस पर मनन किया तथा प्रार्थी वकील व पैरोकार सरकार की अंतिम बहस पर भी गंभीरता से मनन किया । विचाराधीन सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त पाया गया कि भू–प्रबंध विभाग द्वारा नवीन सेटलमेंट का राजस्व रेकर्ड तैयार करते समय सहवन से ग्राम नवारा के राजस्व नक्शें में खसरा नं. 678 किस्म गै.मु.चाह को गलत स्थान पर अंकित किया गया है। साथ ही उक्त खसरा नम्बर का रकबा भी राजस्व नक्शे में 0.0500 हैक्टेयर के स्थान पर 0.0900 हैक्टेयर तरमीम किया गया है, जो जमाबंदी एवं मौके अनुसार गलत है। जिसके कारण उक्त त्रुटि लिपिकीय त्रुटि की परिभाषा में आने से न्यायहित में दुरस्त किया जाना उचित होने से प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अ.धा.136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा भूमिधारी अधिकारी तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि ग्राम नवारा के राजस्व नक्शें में खसरा नं. 678 किस्म गै.मु.चाह की त्रुटि को संलग्न नक्शे में लाल स्याही से दर्शायी तरमीम अनुसार सही कर वर्तमान राजस्व नक्शें व भू नक्शा में सही तरमीम की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र इस न्यायालय में भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित करे।

निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। निर्णय मेरे हस्ताक्षर, पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हरि सिंह देवल)
लैण्ड रेकर्ड आफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही (राज.)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 19-12-2025 को मेरे हस्ताक्षर, पदनाम व न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

लैण्ड रेकर्ड आफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही (राज.)
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज०)